आईपी

वीआईपी

ईएसआईसी-2.0

चिंता से मुक्ति

लाखों लोगों को सामाजिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य देखभाल

क.रा.बी. निगम एक झलक

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

Employees' State Insurance Corporation

Website: www.esic.nic.in, www.esic.in, www.esichospitals.gov.in

श्री संतोष कुमार गंगवार, माननीय श्रम एवं रोज़गार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), भारत सरकार दिनांक 06.11.2017 को सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में आयोजित क.रा.बी. निगम दंत महाविद्यालय एवं अस्पताल, रोहिणी के दूसरे उपाधिग्रहण समारोह के दौरान दीप प्रज्वलित करते हुए।

श्री संतोष कुमार गंगवार, माननीय श्रम एवं रोज़गार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), भारत सरकार दिनांक 06.10.2017 को ई.एस.आई.सी. मॉडल अस्पताल, बेलटोला, गुवाहाटी के नवीनीकरण एवं उन्नयन का शिलान्यास करने के बाद उद्घाटन स्थल पर।

भारत की कर्मचारी राज्य बीमा योजना

परिचय

कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ईएसआईएस), कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम में सामाजिक बीमा का एकीकृत उपाय है। इसे कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 में परिभाषित 'कर्मचारियों' को बीमारी, प्रसव, निःशक्तता तथा रोज़गार के दौरान चोट लगने से मृत्यु जैसे खतरों से बचाने तथा बीमाकृत व्यक्ति एवं उसके परिवार के सदस्यों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने जैसे कार्यों को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है। यह क.रा.बी. योजना कारखानों तथा अन्य स्थापनाओं जैसे सड़क परिवहन, होटलों, रेस्तरां, सिनेमा, समाचार पत्र, दुकान, शैक्षिक/चिकित्सा संस्थाओं पर लागू होती है जहाँ 10 या इससे अधिक व्यक्ति रोज़गाररत हों। तथापि, कुछ राज्यों में स्थापनाओं की व्याप्ति के लिए यह सीमा अभी भी 20 है। कारखानों तथा स्थापनाओं की उक्त श्रेणियों के कर्मचारी जो प्रति माह ₹ 21,000/– तक वेतन प्राप्त करते हैं, वे कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा व्याप्ति के लिए पात्र हैं।

क.रा.बी. योजना का वित्त पोषण नियोक्ताओं तथा कर्मचारियों के अंशदान से होता है। नियोक्ता द्वारा अंशदान की दर कर्मचारियों को देय वेतन का 4.75 प्रतिशत है। कर्मचारियों के अंशदान की दर कर्मचारी को देय वेतन का 1.75 प्रतिशत है। दैनिक मजदूरी के रूप में रोजाना ₹ 137/– तक कमाने वाले कर्मचारी अपने हिस्से का अंशदान देने से मुक्त हैं।

व्याप्ति

आरंभ में, क.रा.बी. योजना 1952 में मात्र दो औद्योगिक केन्द्रों, कानपुर और दिल्ली में लागू की गई थी। भौगोलिक क्षेत्रों में विस्तार तथा जन–व्याप्ति की दृष्टि से इस योजना ने तब से लेकर आज तक कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। औद्योगीकरण की प्रगति के साथ–साथ कदम से कदम मिलाकर चलती हुई यह योजना आज देश के 33 राज्यों एवं संघ राज्यक्षेत्रों के 325 जिलों एवं 92 जिला मुख्यालयों में पूर्ण रूप से लागू है। आज यह अधिनियम देश भर के 8.98 लाख कारखानों तथा स्थापनाओं पर लागू है तथा लगभग 3.19 करोड़ बीमाकृत व्यक्ति/परिवार एककों को योजना के हितलाभ दायरे में लाया गया है। इस समय योजना के लाभार्थियों की कुल संख्या 15.59 करोड़ से अधिक है।

आधारभूत ढांचा

वर्ष 1952 में योजना के लागू होने के बाद से ही कामगारों की निरन्तर बढ़ती संख्या के अनुरूप सामाजिक सुरक्षा की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए योजना के आधारभूत नेटवर्क में विस्तार होता रहा है। क.रा.बी. निगम ने अभी तक अंतः रोगी सेवाओं हेतु 155 अस्पताल और 42 अस्पताल अनैक्सियों की व्यवस्था की है। लगभग 1467 / 159 क.रा. बी. औषधालयों / आयुष इकाइयों और 948 पैनल क्लीनिकों के नेटवर्क के माध्यम से प्राथमिक तथा बाह्य रोगी चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं।

जोखिम भरे उद्योगों में कार्यरत कर्मचारियों को व्यावसायिक रोगों के निदान व उपचार के लिए निगम ने मुम्बई (महाराष्ट्र), नई दिल्ली, कोलकाता (पश्चिम बंगाल), चेन्नै (तमिलनाडु) तथा इन्दौर (म.प्र.) प्रत्येक में एक–एक व्यावसायिक रोग निदान केन्द्र स्थापित किया है।

नकद हितलाभों के भुगतान के लिए निगम का देश भर में 630 / 185 शाखा कार्यालयों / भुगतान कार्यालयों का नेटवर्क है, जिसका पर्यवेक्षण 63 क्षेत्रीय / उप–क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा किया जाता है।

क.रा.बी. योजना के हितलाभ

क.रा.बी. योजना के अन्तर्गत मुख्य हितलाभ हैं:

- बीमारी हितलाभ
- निःशक्तता हितलाभ
- आश्रितजन हितलाभ
- मातृत्व हितलाभ
- चिकित्सा हितलाभ

उपर्युक्त के अतिरिक्त, लाभार्थियों को प्रदान किए जाने वाले अन्य हितलाभ हैं – प्रसूति व्यय, अंत्येष्टि व्यय, व्यावसायिक पुनर्वास, शारीरिक पुनर्वास, बेरोज़गारी भत्ता (रा.गा. श्र.क.यो.) तथा कौशल उन्नयन प्रशिक्षण।

क.रा.बी. निगम–भारतीय कामगारों के लिए एक सम्पूर्ण सामाजिक सुरक्षा संगठन

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की परिभाषा के अनुसार सामाजिक सुरक्षा–''वह

सुरक्षा है जिसे समाज उपयुक्त संगठन द्वारा उन कतिपय जोखिमों के लिए प्रदान करता है, जिनसे उसके सदस्यों का निरंतर सामना होता रहता है। ये जोखिम अनिवार्यतः आपात स्थितियाँ हैं जिनसे अल्प साधन वाले व्यक्ति अपने स्वयं की सामर्थ्य या दूरदृष्टि अथवा अपने सहयोगियों के साथ निजी भागीदारी से भी प्रभावी तौर पर नहीं निपट सकते हैं। इसलिए सामाजिक सुरक्षा के तंत्र में प्रकृति के घोर अन्याय का सामना करने और इसके प्रभाव को समाप्त करने के लिए हित साधनपूर्वक युक्तियुक्त सुनियोजित न्यायपूर्ण आर्थिक क्रिया–कलाप हैं।''

क.रा.बी. निगम भारत में एकमात्र सामाजिक सुरक्षा संगठन है जो कि ज्यादातर आकस्मिकताओं (आईएलओ की सूची में उपलब्ध) को व्याप्त करता है जो बीमारी, श्रमिकों को चिकित्सा देखभाल, मातृत्व, बेरोजगारी, कार्य के दौरान चोट, श्रमिक की मृत्यु, निःशक्तता और विधवापन की आकस्मिकताओं से संबंधित हितलाभ प्रदान करता है।

क.रा.बी. योजना गांधी जी के ''क्षमता के अनुरूप अंशदान और आवश्यकता के अनुरूप हितलाभ'' के सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत से एक बीमाकृत व्यक्ति जो कि समाज के कम आय वर्ग से आता है, अपनी आमदनी के अनुरूप अंशदान का भुगतान करके बड़ी मात्रा में लाभ प्राप्त करता है।

क.रा.बी. योजना के अधीन किये जाने वाले प्रत्येक सामाजिक सुरक्षा भुगतान बीमाकृत व्यक्ति को उसकी बचतों अथवा आमदनी पर कोई अतिरिक्त बोझ डाले बिना मदद करते हैं। क.रा.बी. निगम उनकी आपात चिकित्सा और अन्य आकस्मिकताओं के दौरान देखभाल करता है। क.रा.बी. योजना द्वारा उपलब्ध करवाए जा रहे हितलाभ हैं:–

1. (क) **बीमारी हितलाभ** का भुगतान बीमाकृत व्यक्ति को दो लगातार हितलाभ अवधियों में 91 दिनों तक औसत दैनिक मजदूरी के 70 प्रतिशत की दर से किया जाता है।

   (ख) **वर्धित बीमारी हितलाभ** (पुरुष नसबंदी/महिला नलीबंदी हेतु) महिला नलीबंदी हेतु 14 दिनों तथा पुरुष नसबंदी हेतु 7 दिनों के लिए औसत प्रतिदिन मज़दूरी का 100 प्रतिशत भुगतान, इसे डाक्टरी सलाह पर बढ़ाया भी जा सकता है।

   (ग) **विस्तारित बीमारी हितलाभ** 3 वर्षों की ईएसबी अवधि के दौरान चिकित्सा व्यवसायियों तथा चिकित्सा बोर्ड की सलाह के अनुसार 124/309/730 दिनों के लिए औसत दैनिक मजदूरी के 80 प्रतिशत की दर पर देय है।

2. **निःशक्तता हितलाभ** के अधीन, बीमाकृत व्यक्ति जब रोज़गार चोट के कारण निःशक्त हो जाता है, उसे जब तक अस्थायी निःशक्तता बनी रहती है, औसत दैनिक मजदूरी के 90 प्रतिशत का भुगतान किया जाता है। स्थायी पूर्ण निःशक्तता होने पर, संपूर्ण जीवन के लिए औसत दैनिक मजदूरी का 90 प्रतिशत का भुगतान किया जाता है और स्थायी आंशिक निःशक्तता के लिए बीमाकृत व्यक्ति को चिकित्सा बोर्ड द्वारा यथानिर्धारित अर्जन क्षमता की हानि के समानुपातिक भुगतान किया जाता है।

3. यदि बीमाकृत व्यक्ति की रोज़गार चोट के कारण मृत्यु हो जाती है तो औसत दैनिक मजदूरी के 90 प्रतिशत की दर से **आश्रितजन हितलाभ** का भुगतान किया जाता है, जो कि सभी आश्रितों के बीच नियत अनुपात में साझा करने योग्य होता है। शर्तों के अधीन इसका भुगतान विधवा को जीवनपर्यन्त अथवा जब तक पुनः विवाह नहीं करती है, और आश्रित बच्चों को 25 वर्ष की आयु होने तक और शर्तों के अधीन आश्रित माता–पिता को भी किया जाता है। लाभार्थियों तक पहुँच कायम करने और व्यवस्था को अधिक ग्राहक अनुकूल बनाने के वास्ते सभी हितलाभों को ईसीएस प्रणाली के जरिये लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा कराया जा रहा है।

4. **मातृत्व हितलाभ** का भुगतान प्रसूति के मामले में 26 सप्ताह तक तथा गर्भपात के मामले में 6 सप्ताह तक औसत दैनिक मजदूरी के 100 प्रतिशत की दर से किया जाता है। गर्भधारण, प्रसूति अथवा गर्भपात के कारण होने वाली बीमारी के मामले में चिकित्सा परामर्श पर इसे एक माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। वर्ष 2016–17 के दौरान नकद हितलाभ भुगतान पर कुल ₹ 1517.93 करोड़ व्यय किये गये हैं जिनसे कोई भी व्यक्ति क.रा.बी. निगम द्वारा अपने बीमाकृत व्यक्तियों को संकट के समय प्रदान की गई बड़ी सहायता का अंदाजा लगा सकता है, अन्यथा इससे देश के कम आय वर्ग में आने वाले कार्यबल पर अतिरिक्त बोझ पड़ा होता।

5. क.रा.बी. निगम द्वारा प्रदान किया जाने वाला एक सबसे बड़ा हितलाभ **'चिकित्सा हितलाभ'** है जो कि बीमायोग्य रोज़गार में **प्रवेश के दिन से स्वयं और परिवार के लिए 'उचित चिकित्सा देखभाल' (प्राथमिक बाह्य रोगी विभाग सेवायें तथा भर्ती रोगी द्वितीयक सेवायें)** उपलब्ध करवाता है, जो कि तब तक जारी रहते हैं जब तक बीमायोग्य रोज़गार में

बीमाकृत व्यक्ति बना रहता है। अति–विशिष्टता इलाज अंशदायी संबंधी शर्तों को पूरा करने पर उपलब्ध कराया जाता है। इलाज एलोपैथी और आयुष चिकित्सा पद्धति के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाता है। क.रा.बी. निगम औषधालय और अस्पताल आवश्यक चिकित्सा इलाज उपलब्ध करवा रहे हैं। अति–विशिष्टता इलाज कुछेक क.रा.बी. अस्पतालों अथवा क.रा.बी.–स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान में उपलब्ध आंतरिक अति–विशिष्टता सेवाओं के जरिये अथवा देश भर के 1000 से अधिक संबद्ध अस्पतालों के जरिये रेफरल आधार पर बड़ी संख्या में उन्नत चिकित्सा संस्थानों के जरिये उपलब्ध कराया जाता है। ऐसे मामलों में क.रा. बी. निगम रोगी अथवा उसके परिवार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ डाले बिना अस्पतालों को सीधे भुगतान करता है।

चिकित्सा हितलाभ मृतक/सेवानिवृत्त/अधिवर्षिता प्राप्त बीमाकृत व्यक्तियों की विधवा/ जीवनसाथी के साथ–साथ उन बीमाकृत व्यक्तियों की विधवाओं, जीवनसाथी को, जो कि स्थायी निःशक्तता के कारण बीमायोग्य रोज़गार में बने रहते, और आश्रितजन हितलाभ प्राप्त करने वाली बीमाकृत व्यक्तियों की विधवाओं को भी प्रदान किये जाते हैं।

6. **सेवानिवृत्ति हितलाभ** बीमाकृत व्यक्ति जो कम से कम 5 वर्ष तक बीमाकृत व्यक्ति रहने के बाद सेवानिवृत्ति आयु के पूरा होने पर या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत अवकाश लेने या समय पूर्व सेवानिवृत्ति लेकर बीमायोग्य रोज़गार छोड़ता है, वह एक वर्ष के लिए आंशिक अंशदान ₹ 120/– (एक सौ बीस रुपए मात्र) के भुगतान और आवश्यक प्रमाण दिखाकर अपने लिए और अपने जीवनसाथी के लिए चिकित्सा हितलाभ प्राप्त कर सकता है। यदि, बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका जीवनसाथी अंशदान अदा किए जा चुके शेष अवधि तक चिकित्सा हितलाभ प्राप्त कर सकता है और आगे की अवधि के लिए प्रति वर्ष अंशदान ₹ 120/– (एक सौ बीस रुपए मात्र) का भुगतान कर चिकित्सा हितलाभ को जारी रख सकता है।

बीमाकृत व्यक्ति द्वारा सेवानिवृत्ति आयु के पूरी होने के बाद नौकरी छोड़ने या ऐसी स्थायी चोट की वजह से नौकरी के लिए अयोग्य होने की तिथि तक समान अंशदान का भुगतान करने पर यह चिकित्सा हितलाभ उस बीमाकृत

व्यक्ति तथा उसके जीवनसाथी के लिए भी मान्य है जो रोज़गार चोट के फलस्वरूप स्थायी निःशक्तता की वजह से रोज़गार के लिए अयोग्य हो चुके हैं।

7. अन्य हितलाभों में बीमाकृत महिला अथवा बीमाकृत व्यक्ति के मामले में उसकी पत्नी का **प्रसूति खर्च** शामिल है यदि कहीं पर प्रसूति ऐसे स्थान पर होती है जहाँ क.रा.बी. योजनाओं के अधीन आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं नहीं हैं, वहाँ केवल दो अवसरों के लिए ₹ 5000/– का भुगतान किया जाता है।

8. बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु के मामले में ₹ 10,000/– का भुगतान **अंत्येष्टि व्यय** के रूप में किया जाता है।

9. रोज़गार चोट के कारण शारीरिक निःशक्तता के मामले में **व्यावसायिक प्रशिक्षण,** जिसके लिए प्रभारित वास्तविक शुल्क अथवा ₹ 123/– प्रति दिन, जो भी अधिक होता है, का व्यावसायिक प्रशिक्षण समाप्त होने तक भुगतान किया जाता है।

10. रा.गां.श्र.क.यो. के अंतर्गत **बेरोज़गारी भत्ता** फैक्टरी बंद होने, छंटनी अथवा गैर रोज़गार चोट के कारण स्थायी अशक्तता से रोजगार की अस्वैच्छिक हानि और रोज़गार जाने से पहले तीन वर्ष के लिए अंशदान के भुगतान के मामले में देय है। इस भत्ते का भुगतान पहले 2 महीनों के लिए औसत दैनिक मज़दूरी का 50 प्रतिशत की दर पर तथा इसके बाद 13–24 महीनों की अवधि के लिए 25 प्रतिशत की दर पर किया जाएगा। रा.गां.श्र.क.यो. के अधीन, रोज़गार की अस्वैच्छिक हानि के मामले में, कौशल उन्नयन प्रशिक्षण अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया जाता है, ताकि बीमाकृत व्यक्ति अपने कौशल को बढ़ा सके और अन्य रोज़गारों के लिए विकल्प चुन सके।

11. **निःशक्त व्यक्तियों के रोज़गार को प्रोत्साहन के लिए** ऐसे निःशक्त कर्मचारियों के संबंध में नियोक्ता के अंशदान के हिस्से का आरंभ में दस वर्षों के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा भुगतान किया जाता है। नियोक्ताओं को क.रा.बी. अधिनियम के तहत व्याप्त कारखानों और स्थापनाओं में कार्यरत स्थायी रूप से निःशक्त व्यक्तियों के संदर्भ में उनके वेतन पर ध्यान दिये बिना ही 10 वर्ष तक उनके अंशदान के हिस्से का भुगतान करने से छूट प्राप्त है।

हितलाभ, अंशदायी शर्तों, हितलाभ की अवधि तथा हितलाभ के स्तरों का संक्षिप्त विवरण

क्र. सं.	हितलाभ का नाम	अंशदायी शर्तें	हितलाभ की अवधि	हितलाभ की दर / प्रकार / टिप्पणियां
1	**चिकित्सा हितलाभ**	कर्मचारी क.रा.बी. अधि. के अंतर्गत एक बीमाकृत व्यक्ति होना चाहिए।	बीमायोग्य रोजगार में प्रवेश के पहले दिन से	बीमाकृत व्यक्ति एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्यों की उचित चिकित्सा देखभाल, विस्तृत चिकित्सा देखभाल एवं नैदानिक जांच।
1(क)	**स्थायी रूप से निःशक्त बीमाकृत व्यक्ति / बीमाकृत महिला जो रोज़गार चोट के कारण बीमायोग्य रोज़गार के लिए अयोग्य है, को चिकित्सा देखभाल**	प्रति वर्ष ` 120 / – के भुगतान पर	वार्षिक आधार पर	बीमाकृत व्यक्ति / बीमाकृत महिला तथा उनके जीवनसाथी को सेवानिवृत्ति की तिथि तक क.रा.बी. चिकित्सा संस्थानों में प्राथमिक एवं द्वितीयक देखभाल (एसएसटी को छोड़कर) हेतु चिकित्सा सुविधा।
1(ख)	**सेवानिवृत्त बीमाकृत व्यक्ति को चिकित्सा देखभाल**	बीमाकृत व्यक्ति जो प्रति वर्ष ` 120 / – के भुगतान पर (न्यूनतम पांच वर्षों तक बीमाकृत व्यक्ति बने रहने के बाद सेवानिवृत्ति आयु के पूरा होने पर, या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत अवकाश लेने या समय पूर्व सेवानिवृत्ति लेकर) बीमायोग्य रोज़गार छोड़ता है।	वार्षिक आधार पर	बीमाकृत व्यक्ति तथा उनके जीवनसाथी को आजीवन क.रा.बी. चिकित्सा संस्थानों में प्राथमिक एवं द्वितीयक देखभाल (एसएसटी को छोड़कर) हेतु चिकित्सा सुविधा। यह हितलाभ दिवंगत बीमाकृत व्यक्ति की विधवा के लिए भी उपलब्ध है जिसने इस हितलाभ के लिए पंजीकरण करवाया था।
2(क)	**बीमारी हितलाभ**	संगत अंशदान अवधि में न्यूनतम 78 दिनों के अंशदान के भुगतान पर	किन्हीं दो लगातार हितलाभ अवधियों में 91 दिनों तक	औसत दैनिक मजदूरी का 70 प्रतिशत

क्र. सं.	हितलाभ का नाम	अंशदायी शर्तें	हितलाभ की अवधि	हितलाभ की दर / प्रकार / टिप्पणियां
2(ख)	**वर्धित बीमारी हितलाभ**	बीमारी हितलाभ के अनुसार	पुरुष नंसबंदी हेतु बीमाकृत व्यक्ति के लिए 7 दिन तथा महिला नलीबंदी हेतु बीमाकृत महिला के लिए 14 दिन।	औसत दैनिक मजदूरी का 100 प्रतिशत
3	**विस्तारित बीमारी हितलाभ**	34 वर्णित दीर्घकालिक रोगों के लिए, बीमाकृत व्यक्ति / बीमाकृत महिला चार लगातार अंशदान अवधियों में न्यूनतम 156 दिन के अंशदान के साथ दो वर्षों के लिए निरंतर बीमायोग्य रोज़गार में होनी चाहिए।	124 से 309 दिन जिसे वर्णित दीर्घकालिक रोग होने की स्थिति में चिकित्सा सलाह पर दो वर्ष (730 दिनों) तक बढ़ाया जा सकता है।	औसत दैनिक मज़दूरी का 80 प्रतिशत
4	**निःशक्तता हितलाभ**			
4(क)	**अस्थायी निःशक्तता हितलाभ**	बीमायोग्य रोज़गार में प्रवेश के पहले दिन से। कार्य के दौरान लगी रोज़गार चोट तथा बीमायोग्य रोज़गार से बाहर होने पर देय।	• निःशक्तता 3 दिन (दुर्घटना के दिन को छोड़कर) से कम समय के लिए बने रहने पर, हितलाभ देय नहीं है। • अन्यथा अस्थायी निःशक्तता बने रहने पर, पूर्ण अवधि के लिए देय है।	औसत दैनिक मज़दूरी का 90 प्रतिशत।
4(ख)	**स्थायी निःशक्तता हितलाभ**	• कोई अंशदायी शर्त नहीं है। • बीमायोग्य रोजगार की अवधि में तथा के बाहर दुर्घटना या व्यावसायिक रोग के कारण पूर्ण या आंशिक स्थायी निःशक्तता हेतु देय है।	आजीवन	• स्थायी पूर्ण निःशक्तता हेतु—औसत दैनिक मजदूरी का 90 प्रतिशत। स्थायी आंशिक निःशक्तता हेतु—चिकित्सा बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार अर्जन क्षमता की हानि के समानुपात। • इसे एकमुश्त राशि में परिवर्तित किया जा सकता है यदि दैनिक दर हितलाभ ` 10/— तक है या कुल परिवर्तित लागत ` 60,000/- से अधिक नहीं है।

क्र. सं.	हितलाभ का नाम	अंशदायी शर्तें	हितलाभ की अवधि	हितलाभ की दर / प्रकार / टिप्पणियां
5(क)	**आश्रितजन हितलाभ**	रोज़गार चोट के कारण मृत्यु होने पर, बीमायोग्य रोज़गार में प्रवेश के पहले दिन से।	विधवा को जीवनपर्यन्त या उसके पुनर्विवाह होने तक तथा प्रत्येक वैध या दत्तक पुत्र को 25 वर्ष की आयु पूरी होने तक। प्रत्येक वैध या दत्तक अविवाहित पुत्री को उसका विवाह होने तक। अशक्त बच्चे को उसकी अशक्तता में बने रहने तक।	निर्धारित अनुपात में आश्रितजनों के मध्य विभाजन योग्य औसत दैनिक मजदूरी का 90 प्रतिशत।
5(ख)	**आश्रितजन हितलाभ प्राप्त करने पर विधवा महिला की चिकित्सा देखभाल**	आश्रितजन हितलाभ प्राप्त करने पर विधवा महिला को।	वार्षिक आधार पर।	आश्रितजन हितलाभ प्राप्त करने पर दिवंगत बीमाकृत व्यक्ति की विधवा को ` 120 / – के वार्षिक भुगतान पर क.रा.बी. चिकित्सा संस्थानों में प्राथमिक एवं द्वितीयक देखभाल (एसएसटी को छोड़कर) हेतु चिकित्सा सुविधा।
6.	**मातृत्व हितलाभ**	तत्काल पूर्ववर्ती 2 निरंतर अंशदान अवधियों में देय 70 दिन का अंशदान।	• दो जीवित बच्चों के लिए 26 सप्ताह तक तथा तत्पश्चात् • तीसरे जीवित बच्चे और आगे के लिए 12 सप्ताह। • गर्भपात के मामले में 6 सप्ताह। • कमीशनिंग माता के लिए 12 सप्ताह। • दत्तक माता के लिए 12 सप्ताह।	औसत दैनिक मजदूरी का 100 प्रतिशत।
7	**प्रसव व्यय**	जहां क.रा.बी. योजना के अंतर्गत आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ बीमाकृत महिला अथवा बीमाकृत व्यक्ति की पत्नी के संदर्भ में बीमाकृत व्यक्ति को यथास्थान प्रसव व्यय के कारण चिकित्सा बोनस का भुगतान किया जायेगा।	दो प्रसव तक।	` 5,000 / – प्रति मामला, दो मामलों तक।

क्र. सं.	हितलाभ का नाम	अंशदायी शर्तें	हितलाभ की अवधि	हितलाभ की दर / प्रकार / टिप्पणियां
8	**अंत्येष्टि व्यय**	• बीमाकृत व्यक्ति, क.रा.बी. योजना के अंतर्गत किसी हितलाभ को प्राप्त करने के लिए पात्र रहा हो। • सबसे बड़े जीवित सदस्य / आश्रितजनों / किसी व्यक्ति जो वास्तव में अंत्येष्टि के खर्च का भार उठायेगा, द्वारा मृत्यु प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर।	बीमाकृत व्यक्ति की अंत्येष्टि पर होने वाले व्यय के लिए एकमात्र भुगतान।	मूल व्यय अधिकतम ` 10,000 / – मात्र तक।
9.	**राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना (आरजीएसके वाई) के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता**	• प्रत्येक अंशदान अवधि में प्रदत्त / देय 78 दिनों के अंशदान के साथ अंतिम 2 वर्षों के लिए बीमायोग्य रोजगार। • कारखाने / स्थापना के बंद होने, छंटनी या 40 प्रतिशत से कम गैर–रोजगार चोट की वजह से हुई स्थायी निःशक्तता की अस्वैच्छिक बेरोजगारी।	पूर्ण बीमायोग्य रोजगार के दौरान 24 माह की अधिकतम अवधि के लिए बेरोजगारी भत्ता।	• निम्न दरों पर बेरोजगारी भत्ता (क) 0–12 माह के लिए अंतिम औसत दैनिक मजदूरी का 50 प्रतिशत। (ख) 13–24 माह के लिए अंतिम औसत दैनिक मजदूरी का 25 प्रतिशत। • बेरोजगारी भत्ता प्राप्त कर रहे बीमाकृत व्यक्ति के कौशल उन्नयन हेतु 1 वर्ष की अवधि का व्यावसायिक प्रशिक्षण। • बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के दौरान स्वयं तथा परिवार के लिए चिकित्सा देखभाल। • सरकार द्वारा अनुमोदित / मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा प्रभारित पूर्ण शुल्क का भुगतान क.रा.बी.नि. द्वारा किया जायेगा।
10.	**नियम 60 के अंतर्गत व्यावसायिक पुनर्वास भत्ता**	आयु 45 वर्ष से अधिक न हो तथा रोजगार चोट की वजह से न्यूनतम 40 प्रतिशत निःशक्तता रखता हो।	व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र / संस्थान के प्रतिमानों के अनुरूप सरकारी संस्थान या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान में किसी भी क्षेत्र में प्रशिक्षण।	• सामान्य दरों पर वाहन खर्च / द्वितीय श्रेणी रेल / बस किराया जो लागू हो। • केन्द्र द्वारा प्रभारित व्यय या ` 123/- प्रति दिन, जो भी अधिक हो।

• जन शिकायत मोड्यूल 2.0

क.रा.बी. निगम ने अपनी वेबसाइट 'www.esic.in' या 'www.esic.nic.in' के माध्यम से ऑनलाइन जन शिकायतें दर्ज कराने के लिए 15 अगस्त, 2015 से स्वतंत्र जन शिकायत मोड्यूल 2.0 का शुभारंभ किया है। बीमाकृत व्यक्ति, नियोक्ता और जन साधारण जनता इस मोड्यूल के माध्यम से कभी भी, कहीं भी अपनी समस्या/शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ऑनलाइन शिकायत करने का तरीका निम्नानुसार है :–

1. **'www.esic.in'** या **'www.esic.nic.in'** पर लॉग ऑन करें।
2. जन शिकायत पर क्लिक करें।
3. अनिवार्य जानकारी भरने के बाद अपनी समस्या/शिकायत का विवरण लिखें।
4. सब्मिट करें।
5. आपको ऑनलाइन शिकायत संख्या मिलेगी।
6. अपनी समस्या/शिकायत की स्थिति इस शिकायत संख्या के माध्यम से जानें।

• जन शिकायत के निपटान के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नं.

क.रा.बी. निगम ने मुख्यालय/क्षेत्रीय/उप–क्षेत्रीय/प्रभागीय/शाखा कार्यालय/क.रा.बी. औषद्यालयों/क.रा.बी. अस्पतालों जैसे सभी स्तरों पर जन शिकायत निपटान प्रणाली स्थापित की है। क.रा.बी. योजना के अंतर्गत जन शिकायतों के शीघ्र निपटान के लिए निगम ने कई कदम उठाए हैं। इसके लिए मुख्यालय में एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर **1800–11–2526** शुरू किया गया है। स्थानीय पणधारियों की सुविधाओं के लिए क.रा.बी. निगम क्षेत्रीय कार्यालय/उप क्षेत्रीय कार्यालय में निम्नलिखित हेल्पलाइन नंबर स्थापित किए गए हैं :–

क्र. सं.	क्षेत्र का नाम	टोल फ्री हेल्पलाइन नं.
1.	**असम** क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी	 1800-345-3627
2.	**बिहार** क्षेत्रीय कार्यालय, पटना	 1800-345-6190
3.	**छत्तीसगढ़** क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर	 1800-233-5172
4.	**गोवा** क्षेत्रीय कार्यालय, पणजी	 1800-233-0132
5.	**गुजरात** क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद	 800-233-0424
6.	**हरियाणा** क्षेत्रीय कार्यालय, फरीदाबाद उप–क्षेत्रीय कार्यालय, गुड़गांव	 1800-180-1475 1800-180-2526
7.	**हिमाचल प्रदेश** क्षेत्रीय कार्यालय, बद्दी	 1800-180-2862
8.	**जम्मू और कश्मीर** क्षेत्रीय कार्यालय, जम्मू	 1800-180-7029
9.	**झारखंड** क्षेत्रीय कार्यालय, राँची	 1800-345-6532
10.	**कर्नाटक** क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलुरु उप–क्षेत्रीय कार्यालय, हुबली	 1800-425-0636 1800-425-0037
11.	**महाराष्ट्र** क्षेत्रीय कार्यालय, मुम्बई उप–क्षेत्रीय कार्यालय, पुणे उप–क्षेत्रीय कार्यालय, मरोल	 1800-209-4599 1800-233-4143 1800-220-0097

क्र. सं.	क्षेत्र का नाम	टोल फ्री हेल्पलाइन नं.
12.	**मध्यप्रदेश** क्षेत्रीय कार्यालय, इंदौर	 1800-233-4414
13.	**ओडिशा** क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर	 1800-345-6712
14.	**पंजाब** उप–क्षेत्रीय कार्यालय, लुधियाना	 1800-180-0026
15.	**पुदुच्चेरी** क्षेत्रीय कार्यालय, पुदुच्चेरी	 1800-425-7642
16.	**राजस्थान** क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर उप–क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर	 1800-180-6266 1800-180-6224
17.	**तमिलनाडु** क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नै उप–क्षेत्रीय कार्यालय, मदुरै उप–क्षेत्रीय कार्यालय, तिरूनेलवेली	 1800-425-7080 1800-425-2527 1800-425-1505
18.	**तेलंगाना** क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद	 1800-425-235
19.	**उत्तराखंड** क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून	 1800-180-4161
20.	**उत्तर प्रदेश** क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर उप–क्षेत्रीय कार्यालय, नोएडा	 1800-180-5127 1800-180-3181
21.	**पश्चिम बंगाल** क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता उप–क्षेत्रीय कार्यालय, बैरकपुर	 1800-345-4454 1800-345-5985

क.रा.बी. योजना के बारे में किसी भी अन्य जानकारी के लिए कोई भी व्यक्ति या संस्थान क.रा.बी. निगम की वेबसाइटः www.esic.nic.in, www.esic.in, www.esichospitals.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं अथवा क.रा.बी. निगम कार्यालयों/स्थापनाओं के किसी भी अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। शिकायतें लिखित में, टोल फ्री हेल्पलाइन के माध्यम से दूरभाष पर, डाक द्वारा, ई–मेल से या निम्नलिखित अधिकारियों के पास व्यक्तिगत रूप से की जा सकती हैंः–

शाखा कार्यालय स्तर	:	शाखा प्रबंधक
औषधालय स्तर	:	बीमा चिकित्सा अधिकारी (प्रभारी)
अस्पताल स्तर	:	चिकित्सा अधीक्षक/उप चिकित्सा अधीक्षक
क्षेत्रीय/उप–क्षेत्रीय स्तर	:	(i) क्षेत्रीय निदेशक/निदेशक/प्रभारी संयुक्त निदेशक (ii) लोक शिकायत अधिकारी
राज्य स्तर	:	(i) वरिष्ठ राज्य चिकित्सा आयुक्त (ii) राज्य चिकित्सा आयुक्त (iii) निदेशक, चिकित्सा, क.रा.बी. योजना (मुख्यालय)
निगमित स्तर	:	(i) महानिदेशक (ii) चिकित्सा आयुक्त (iii) बीमा आयुक्त (iv) निदेशक (लोक शिकायत)

पताः क.रा.बी निगम, पंचदीप भवन, सीआईजी मार्ग, नई दिल्ली–110002
वेबसाइटः www.esic.nic.in, www.esic.in, www.esichospitals.gov.in
ई–मेलः pg-hqrs@esic.in, दूरभाषः 011–23234092/93/98
फैक्सः 011–23234537, टोल फ्री नं.: 1800 11 2526
चिकित्सा हेल्पलाइन नं.: 1800 11 3839

www.facebook.com/esichq @esichq

- **सुविधा समागम**

  मौखिक, लिखित शिकायतों/सुझावों और समस्याओं से निपटने के लिए सुविधा समागम विभिन्न फील्ड कार्यालयों अर्थात् क्षेत्रीय कार्यालय/उप–क्षेत्रीय कार्यालय/क.रा.बी. निगम अस्पतालों में हर महीने के दूसरे बुधवार को और क.रा.बी. निगम शाखा कार्यालय में हर महीने के दूसरे शुक्रवार को नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं।

कर्मचारी खुश, नियोक्ता खुशहाल

- जब तक कोई संविदात्मक उत्तरदायित्व न हो, नियोक्ता अपने कामगारों और उनके आश्रितों को वस्तु या नियत नकद भत्ते, प्रतिपूर्ति अथवा वास्तविक खर्चों, एकमुश्त अनुदान या सीमित प्रकृति की किसी अन्य चिकित्सा बीमा पॉलिसी के रूप में, चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के सभी दायित्वों से मुक्त है।

- नियोक्ताओं को क.रा.बी. योजना के अंतर्गत व्याप्त कर्मचारियों के लिए मातृत्व हितलाभ अधिनियम और कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम लागू करने से भी छूट प्राप्त है।

- कामगारों के शारीरिक कष्ट जैसे बीमारी, रोज़गार चोट या शारीरिक निःशक्तता के परिणामस्वरूप मज़दूरी की क्षति जैसे समय में नियोक्ता किसी भी ज़िम्मेदारी से मुक्त हैं क्योंकि बीमाकृत कर्मचारियों के संबंध में नकद हितलाभ का भुगतान किए जाने का उत्तरदायित्व निगम का है।

- क.रा.बी. अधिनियम के अंतर्गत अंशदान के माध्यम से भुगतान की गई कोई भी कुल राशि आयकर अधिनियम के अंतर्गत 'आय' में से घटाई जाती है।

- इसके अतिरिक्त, श्रम और रोज़गार मंत्रालय के श्रम सुविधा पोर्टल के साथ एक नई एकीकृत निरीक्षण नीति का शुभारंभ किया गया है जिसमें 13 केन्द्रीय श्रम अधिनियम (क.रा.बी. अधिनियम सहित) शामिल किए गए हैं। इसका उद्देश्य व्यावसायिक विनियमों का सरलीकरण तथा श्रम निरीक्षण में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना है।

विशेष उपलब्धियाँ:

क. ईएसआईसी 2.0 का स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रमः

- क.रा.बी. लाभार्थियों (बीमाकृत व्यक्तियों तथा उसके परिवार के सदस्यों) के इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड की ऑनलाइन उपलब्धता।
- अभियान इंद्रधनुषः क.रा.बी. अस्पतालों में इंद्रधनुषी पद्धति के अनुसार दिनवार चादर बदला जाना सुनिश्चित करना।
- क.रा.बी. निगम अस्पतालों की हताहत/आपात विभाग से चिकित्सीय सलाह तथा मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए चिकित्सा हेल्पलाइन नंबर 1800 11 3839
- क.रा.बी. निगम अस्पतालों में दोपहर बाद वरिष्ठ नागरिकों तथा निःशक्त व्यक्तियों के लिए विशेष बाह्य रोगी विभाग।
- छह बिस्तरों वाले अस्पतालों में चरणों में औषधालयों का उन्नयन करना।
- अस्पतालों के विभिन्न स्तरों पर उचित कैंसर जाँच, हृदय रोग उपचार, योग सुविधाएं उपलब्ध कराना।
- सभी क.रा.बी. निगम आदर्श अस्पतालों में पीपीपी मोड पर डायलिसिस सुविधाएं।
- अस्पताल परिसर में आउटसॉर्सिंग अथवा उन्नयन के माध्यम से सभी सम्भावित पैथोलॉजिकल सुविधाएं।
- प्रत्येक अस्पताल में पंजीकरण कराने तथा दवाखाने में मदद के लिए पंक्ति व्यवस्था पद्धति।
- अस्पतालों में रोगियों/परिचारकों के साथ उचित शिष्टाचार के लिए अस्पतालों के परा–चिकित्सकों तथा अन्य कर्मचारियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण देना।
- सभी आंतरिक रोगियों के लिए प्रतिपुष्टि प्रणाली।
- औषधालय स्तर तक चरणबद्ध तरीके से आयुष सुविधाओं तथा लाभार्थियों के लिए चरणबद्ध तरीके से टेलीमेडिसिन सुविधाओं का विस्तार।

ख. क.रा.बी. योजना (क.रा.बी.नि. 2.0 के अंतर्गत) के सामाजिक सुरक्षा तंत्र की व्याप्ति का विस्तार

- शेष पूर्वोत्तर राज्यों में क.रा.बी. योजना के सामाजिक सुरक्षा हितलाभों के विस्तार के रूप में, योजना दिनांक 01.12.2015 से मिजोरम में लागू की गई। क.रा.बी. योजना दिनांक 01.01.2016 से पोर्ट ब्लेयर में भी लागू हो गई है।

- क.रा.बी. योजना अब उन राज्यों के 325 जिलों में लागू कर दी गई है, जहाँ औद्योगिक/वाणिज्यिक समूह स्थित हैं।
- चुनिंदा शहरी/महानगरीय क्षेत्रों में असंगठित कामगारों, जैसे– रिक्शावाला/ऑटो–रिक्शाचालक के चुनिंदा समूह हेतु पायलट आधार पर स्वास्थ्य योजना शुरू की गई।
- कार्यान्वित क्षेत्रों में निर्माण क्षेत्र कामगारों के लिए क.रा.बी. व्याप्ति के विस्तार के साथ, ऐसे कामगार क.रा.बी. योजना के हितलाभ भी प्राप्त कर सकते हैं।
- क.रा.बी. योजना के अंतर्गत बीमाकृत व्यक्तियों की संख्या 3.19 करोड़ तक पहुँच गई है तथा लाभार्थियों की संख्या ने 15.59 करोड़ के आंकड़े को प्राप्त कर लिया है।
- क.रा.बी. अधि. के अंतर्गत कर्मचारियों की व्याप्ति हेतु वेतन की उच्चतम सीमा 1 जनवरी, 2017 से ` 15,000/– से बढ़ाकर ` 21,000/– कर दी गई है।
- क.रा.बी.निगम लाभार्थियों, विशेष रूप से प्रवासी कामगारों के लिए ''एक बीमाकृत व्यक्ति–दो औषधालय योजना'' शुरू की गई।
- क.रा.बी. निगम/क.रा.बी. चिकित्सा संस्थानों में 40 वर्ष तथा इससे अधिक आयु वाले बीमाकृत व्यक्तियों की वार्षिक संरक्षात्मक स्वास्थ्य जांच, जिसके तहत चिकित्सा जांच करवाई गई और संरक्षात्मक उपायों के बारे में जानकारी दी गई।

ग. डिजिटल इंडिया–क.रा.बी. निगम की ई–पहलें

- ई–बिज़ प्लेटफार्मः क.रा.बी.नि. सुलभ व्यापार को प्रोत्साहित करने तथा लेन–देन व्यय को नियंत्रित करने के लिए अपनी सेवाओं (डीआईपीपी का औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के ई–बिज़ पोर्टल के माध्यम से नियोक्ताओं का पंजीकरण) को एकीकृत करने वाला केन्द्र सरकार का पहला संगठन है।
- अपनी अग्रणी परियोजना 'पंचदीप' के अंतर्गत, क.रा.बी. निगम ने नियोक्ताओं को भारतीय स्टेट बैंक के अलावा, 1 अप्रैल, 2015 से 58 अन्य बैंकों के पेमेंट गेटवे के माध्यम से ऑनलाइन क.रा.बी. अंशदान का भुगतान करने की सुविधा उपलब्ध कराई है।
- क.रा.बी. निगम ने दिनांक 15.08.2015 से स्वतंत्र जन शिकायत मॉड्यूल 2.0 की शुरुआत की है जिसके अंतर्गत क.रा.बी. निगम की वेबसाइट 'www.esic.in' या 'www.esic.nic.in' के माध्यम से क.रा.बी. निगम सम्बन्धित शिकायत ऑनलाइन दर्ज की जा सकती है।

- दिसम्बर, 2015 में क.रा.बी. निगम अस्पतालों तथा औषधालयों के लिए विशिष्ट वेबसाइट 'www.esichospitals.gov.in' का शुभारम्भ। यह वेबसाइट क.रा.बी. निगम बीमाकृत व्यक्तियों तथा उनके लाभार्थियों को परेशानी रहित सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। इसमें सभी 36 क.रा.बी. निगम अस्पतालों में उपलब्ध उपचार के स्थान तथा विशेषज्ञताओं के अनुसार सुविधाजनक तिथि पर उपचार के लिए क.रा.बी. निगम विशेषज्ञ चिकित्सकों से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की बुकिंग सुविधा भी उपलब्ध है।
- 1 मार्च, 2016 से ई–पहचान कार्ड की सुविधा भी प्रारंभ कर दी गई है।
- भुवन पोर्टल पर जियो टैग वाले क.रा.बी. निगम स्थानों के लिए लिंक की शुरुआत की गई।
- सभी 1467/159 क.रा.बी. औषधालयों/आयुष, 815 शाखा/भुगतान कार्यालयों, 63 क्षेत्रीय/उप–क्षेत्रीय कार्यालयों, 155 अस्पतालों के वीओआईपी नंबरों के माध्यम से जुड़े क.रा.बी. निगम मुख्यालय, नई दिल्ली में स्थित अंतर–कार्यालय कॉल सेंटर–सह–निगरानी केन्द्र ने प्रतिदिन की गतिविधियों/कार्यों पर निगरानी रखने का काम करना शुरू कर दिया है।

घ. अन्य नई पहलें

- व्यावसायिक स्वास्थ्य तथा व्यावसायजनित चोटों एवं रोगों की रोकथाम के क्षेत्र में सहयोग के लिए महानिदेशालय कारखाना परामर्श सेवा एवं श्रम संस्थान (डीजीएफएएसएलआई) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
- क.रा.बी. निगम औषधालयों में क.रा.बी. रोगियों के लिए पूर्व अपॉइंटमेंट लेने हेतु मोबाइल एप्लीकेशन "AskAnAppointment" (AAA+)" शुरू किया गया।
- हिमाचल प्रदेश तथा बिहार राज्य में क.रा.बी. लाभार्थियों के लिए 'परामर्श' नाम से मोबाइल आधारित विडियो–टेली परामर्श सम्बंधी पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया।
- सेवानिवृत्त बीमाकृत व्यक्तियों के लिए अति–विशिष्टता उपचार उपलब्ध कराने की सुविधा शुरू की गई।
- दिल्ली के क.रा.बी. निगम लाभार्थियों के लिए 'कहीं भी–कभी भी' नाम से चिकित्सा सुविधाएं शुरू की गई।

ड. हितलाभों में सुधार तथा मुख्य संकेतक

- वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान, क.रा.बी. निगम ने नकद हितलाभों के रूप में ` 1517.93 करोड़ वितरित किए। नकद हितलाभ भुगतानों की संख्या 31.80 लाख हो गई है।
- वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान, चिकित्सा हितलाभ पर ` 6256.57 करोड़ खर्च किए गए।
- अंशदान आय की राशि बढ़ाकर ` 13662.44 करोड़ कर दी गई।
- बीमाकृत व्यक्ति/बीमाकृत महिला तथा उसके परिवार के लिए चिकित्सा हितलाभ तथा रा.गां.श्र.क.यो. के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ते की अवधि 12 माह से बढ़ाकर 24 माह कर दी गई। रा.गां.श्र.क.यो. के अंतर्गत हितलाभ प्राप्त करने के लिए अंशदान संबंधी शर्त की पात्रता तीन वर्ष से घटाकर दो वर्ष कर दी गई।
- प्रसव में मातृत्व हितलाभ की अवधि 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दी गई।

च. सोशल मीडिया टूलः

- क.रा.बी. निगम ने सोशल मीडिया हैंडल्स फेसबुक (www.facebook.com/esichq), ट्विटर (www.twitter.com/esichq) तथा ऐसे हैंडल जैसे पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम, जी+ तथा यूट्यूब के माध्यम से अपनी शानदार उपस्थिति दर्ज की है। आगंतुक उत्साहपूर्वक क.रा.बी. योजना से सम्बन्धित शिकायतें, प्रतिक्रिया तथा अन्य मामलों पर टिप्पणियाँ पोस्ट करते हैं। जन संपर्क शाखा, मुख्यालय अपने लक्षित लोगों के मध्य क.रा.बी. निगम के सोशल मीडिया हैंडल्स की पहुंच तथा लोकप्रियता बढ़ाने के लिए पूर्ण प्रयत्न कर रही है तथा क.रा.बी. निगम सोशल मीडिया का अनुसरण करने वालों के प्रश्नों तथा उठाए गए मामलों की ओर अनुक्रियाशील है।

छ. चिकित्सा शिक्षा तथा आईसीटी

- क.रा.बी. निगम द्वारा राजाजी नगर, बेंगलुरु (कर्नाटक), गुलबर्ग (कर्नाटक), चेन्नै (तमिलनाडु), सनतनगर (हैदराबाद), फरीदाबाद (हरियाणा) तथा जोका (पश्चिम बंगाल) में 6 चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किए गए हैं, इनमें चिकित्सा विज्ञान संबंधी स्नातक पाठ्यक्रमों में लगभग 600 छात्रों ने पंजीकरण करवाया है।

- क.रा.बी. निगम द्वारा रोहिणी (दिल्ली) तथा गुलबर्ग (कर्नाटक) में क्रमशः दो दंत महाविद्यालय स्थापित किए गए, जिनमें सीटों की कुल संख्या 100 है।
- मुंबई, अंधेरी, राजाजी नगर, जोका, माणिकतला तथा चेन्नै स्थित क.रा.बी. निगम अस्पतालों द्वारा चिकित्सा शिक्षा के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 108 सीटें उपलब्ध कराई गई।
- **ई–पहचानः** बीमाकृत व्यक्ति द्वारा बीमा संख्या की प्राप्ति हेतु अपना आधार नंबर डालकर अपने आधार नंबर के जरिए अपनी पहचान स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की गई। इसके द्वारा सभी प्रकार के हितलाभ संवितरण के दौरान संपर्क के विभिन्न बिन्दुओं पर बीमाकृत व्यक्ति तथा उसके आश्रितजनों की पहचान संबंधी प्रक्रिया आसान हुई। इस प्रक्रिया ने बीमाकृत व्यक्तियों को पहचान कार्ड जारी करने के लिए अपना बायोमेट्रिक्स करवाने के लिए हमारे कार्यालय में आने की बोझिल प्रक्रिया से छुटकारा दिलाते हुए उन्हें सक्षम बनाया।
- **बीमाकृत व्यक्ति का सशक्तीकरणः** हमारे कामगारों की स्थिति, के सत्यापन हेतु उन्हें सक्षम बनाने के लिए एक प्रणाली विकास स्तर पर है, जैसे उनके नियोक्ताओं द्वारा उन्हें योजना के अंतर्गत व्याप्त किया गया या नहीं तथा नियोक्ताओं द्वारा जमा कराई गई उनकी मज़दूरी/उपस्थिति/अंशदान की स्थिति। इसमें किसी भी त्रुटि की रिपोर्ट करने का प्रावधान भी उपलब्ध है।

अब, क.रा.बी. अंशदान के भुगतान की तिथि महीना समाप्त होने के बाद 15 तारीख (21 तारीख के स्थान पर) कर दी गई है।

क.रा.बी. निगम लाभार्थियों, विशेष रूप से प्रवासी कामगारों के लिए ''एक बीमाकृत व्यक्ति–दो औषधालय योजना'' की शुरुआत।

1.3 करोड़ कामगार क.रा.बी. निगम के साथ पंजीकृत हुए – समाजिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य हितलाभ सभी के लिए।

श्री राज कुमार, भा.प्र.से., महानिदेशक, क.रा.बी. निगम दिनांक 31.10.2017 को राष्ट्रीय एकता दिवस के दौरान आयोजित 'रन फॉर यूनिटी' को हरी झंडी दिखाते हुए।

श्री राज कुमार, भा.प्र.से., महानिदेशक, क.रा.बी. निगम दिनांक 11.10.2017 को क.रा.बी. निगम मुख्यालय, नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के दौरान सभा को संबोधित करते हुए।

प्रकाशक
महानिदेशक
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
Employees' State Insurance Corporation
पंचदीप भवन, सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली–110002
वेबसाइटः www.esic.nic.in, www.esic.in, www.esichospitals.gov.in
टोल फ्री नं.: 1800 11 2526, चिकित्सा हेल्पलाइन नं.: 1800 11 3839
www.facebook.com/esichq @esichq

संकलन एवं प्रस्तुति
जन संपर्क शाखा, क.रा.बी. निगम